

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।

पटना, दिनांक:- 28.8.18

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त, 2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर, 2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर, 2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर, 2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर, 2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
योग :-			39169.22

औसत - $39169.22 \div 6 = 6528.20$

अनुसूची-1(ब)

.....
अनुसूचित नियोजन का नाम:- (1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) / अधिसूचना संख्या-4833, 4834 दिनांक-15.09.2017 गजट संख्या-860 दिनांक-19.09.2017

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+ 01.04.2017+01.10.2017 से न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	227.00+5.00+5.00=237.00	7.00	244.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	290.00+6.00+6.00=302.00	9.00	311.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	353.00+7.00+7.00=367.00	11.00	378.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6535.00+131.00+133.00 =6799.00	204.00	7003.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो, निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2017 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2018 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/08 श्र0सं0-1459)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक
(मोहन रजक)

अवर सचिव।
28/3/18